श्री मोहन लाल डांगी, क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 16.01.2026 प्रातः 11.00 AM बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत शिशवी, तहसील–कुराबड़, जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र द इण्ड़ियन एक्सप्रेस एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 29.11.2025 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई "श्री मोहन लाल डांगी" द्वारा प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार खनन परियोजना (एम एल नं. 13/2023 (लीज क्षेत्र 1.2151 हैक्टेयर), प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार उत्पादन क्षमता 1,23,898 TPA, निकट ग्राम–सेजलाई, तहसील–कुराबड़, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 2 करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 23.05.2025 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आई.ए रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी साराश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः—

श्री नरेन्द्र सिंह सांरगदेवत, ग्रामवासी :—

मैं स्थानीय गांव सेजलाई से बिलोंग करता हूं। आपने खनन के बारे में जितनी भी बाते बताई है, पिछले हमारे जो वर्तमान में माईन्से चल रही है उनके प्रति एक भी चीज यहॉ पर लागू नही होती है। क्योकि अभी जो मैम ने अभी जो बाते बताई है ना उसमें एक भी चीज ऐसी नही है, एक भी बात, एक भी पोईन्ट्स ऐसा नही है जो यहॉ पर लागु होता है। आप बात कर रहे है कि स्कूलों की मरम्मत होगी, माईन्सों में जो कि, गवरमेन्ट को रेवेन्यु मिलता है ये तो फैक्ट है सबको पता है। पर गांववासियो के लिये क्या होता है। कुछ नही होता है ग्रामवासियों के लिये। आप स्कूल की बात कर रहे है। एक तो सरकारी स्कूल है। स्कूल सरकार के अंडर में है हो जायेंगे। सही भी हो जायेंगे। यदि उसकी मरम्मत करवानी है तो सरकार करवा देगी। पर हमारे घर की मरम्मत कौन करवायेगा ? हमारे घर की हालते इतनी खराब हो गई है, जज्जर हो गई है, दीवारो में दरारे आ गई है। जैसे माईन्स का जैसे ही वो ब्लास्टिंग होता है। हैवी पावर वाला ब्लास्टिंग होता है। माईन्स का जैसे ही ब्लास्टिंग होता है, हमे एक सैकण्ड बाद झनझनाहट महसूस होती है। किसी के घर के बाहर चद्दरे लगी हुई है लोहे की वो हिल जाती है, किचन में बर्तन है वो हिल जाते है। इसके जिम्मेदार कौन है ?

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :—

इसमे जो बात कर रहे है, कम्प्लेन कर रहे वो पर्टिकुलर माईन्स की हो रही है या सभी माईन्स की हो रही है ?

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री नरेन्द्र सिंह सांरगदेवत, ग्रामवासी :–

सभी माईन्स। जो वर्तमान में चल रही है उसकी भी है और यहॉ पर जो आवंटन कर रहे है उनको हम स्वीकृति नही देते है। ग्रामवासियों का ये विवाद है। इस चीज कि की हम उनको स्वीकृति नही देते है कि यहॉ पर कोई भी खनन उद्योग हो।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ये आपने माईनिंग डिपार्टमेन्ट में कोई शिकायत की क्या ? इस बारे में।

श्री नरेन्द्र सिंह सांरगदेवत, ग्रामवासी :–

पिछली बाई जनसुनवाई हुई थी। हमने यहां पर बताया सभी ने एवं विरोध किया। उन्होने बोला कि हमने प्रेषित किया है आगे तक भेजा है उसकी कोई जनसुनवाई हुई उसका क्या?

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इस पब्लिंक हियरिंग के बाद में आप एक लिखित में दे भले आप साईन से दे जैसे भी दे, जो–जो शिकायते है आपकी वो आप लिखित में दे दे? ब्लास्टिंग के पर्टिकुलर ली।

श्री नरेन्द्र सिंह सांरगदेवत, ग्रामवासी :–

वर्तमान में जितनी भी जनसुनवाई हुई थी उन सभी जनसुनवाई में यही बात हमे लगी थी कि हमे जो नुकसान होना है उसकी भरपाई कौन करेगा? आप बात कर रहे है पशुओ की? पशुओ को चारागाह भूमि नही मिल रही है। हम घर से पशु को छोड नही सकते। माईन्स के उधर जाते है तो बहुत से पशु उधर ही दफन हो जाते है। उसके बाद तो एक दो माईन्स ऐसी है जिनके यहॉ पर जो प्रस्ताव रखा है उसके बाद उसकी पालबंधी हुई चारो तरफ। उससे पहले वो ओपन ही थी। हमने जो भी प्रस्ताव दिये है वो अभी तक सफल नही हुए है। हमेशा हमारा विफल ही हुआ है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

अभी आप जो भी देना चाहे आप दे दे अभी कार्यवाही होगी।

श्री प्रवीण गौराणा, ग्रामवासी :–

ये जो आप बोल रहे हो ना कि पहले कुछ कार्यवाही हुई कि नही उसके वाली ये और इसका आप हमको लिखित में दो कि हमने ये किया था आपने जो प्रेषित किया था ना आगे।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री नरेन्द्र सिंह सांरगदेवत, ग्रामवासी :–

इसका रिर्टन में क्या जवाब है।

श्री प्रवीण गौराणा, ग्रामवासी :–

जैसा कि आपने अभी बोला कि वो नाला 1.2 किलोमीटर दूर बता रहे है कि इतना दूर है अभी जो बता रहे है। आपने में से किसी ने जाकर देखा वहॉ पर कि मै मौके पर जाकर आया हूं कि नाला इतना दूर है और मैं देखकर आया हूं। कोई गया तो नही वहॉ पर।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

अभी आप जो भी आप कहना चाहो ना आप कह दो क्योकि ये पुरी रिकॉडिंग जो कि जा रही ना इसके बाद जो भी मुआवजे आएगा निर्देश वो कम्पलाई किया जाएगा।

श्री प्रवीण गौराणा, ग्रामवासी :–

वो आएगा कब आयेगा अभी जो पहले हुआ था उसका तो अभी तक आया ही नही है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

अभी आप जो बात कर रहे है इस माईन्स की बात कर रहे है ना अभी आप इसमें बोलिए जो बोलना चाहे।

श्री प्रवीण गौराणा, ग्रामवासी :–

अभी एक ही बात बोलेंगे कि गांव का कोई भी इसके लिये तैयार नही है और हम स्वीकृति नही देते है। अगर ऐसा होता है तो फिर जो आगे की कार्यवाही होती है तो फिर हम करेंगे जैसा हमसे हो पायेगा और इसके लिये हम मना करेंगे और इसके लिये भी हम चलायेगं कि 7 दिन के अंदर आप इसके बारे में बताये हमको और मौखिक रूप से और लिखित रूप से। दोनो ही तरफ से। यो नही कि हमने प्रेषित कर दिया है जो आगे से आयेगा आयेगा जो अभी आगे से आ रही रहा है सालभर से। सालभर से कुछ भी नही आया है और अभी नई माईन्स। बस यही हो रहा है।

श्री कैलाश चन्द्र, ग्रामवासी :–

हमने पूर्व में भी ऐसी दरिले रखी थी उसमे अभी तक कुछ भी नही हुआ। हमारे सेजलाई में जाकर आप देख लो मकानो में कितनी दरारे पड रही है। नये नये मकानों में दरारे पड रही है। पर कम से कम जो गरीब आदमी है वो बडी मुश्किल से बनाता है। इंदिरा आवास भी बनाता है और फिर जब दरारे पड जाती है तो वो अपना जीवननिर्वाह कैसे करे? इसके लिये आपने भी कहा कि हमने आयुर्वेदिक के लिये

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

इतना किया उसके लिये इतना बजट हैं। मैं कह रहा हू बाठेडा यहॉ से कितना दूर है जबकि शिशवी पास में है यहॉ आयुर्वेदिक के लिये कुछ भी नही है। आप दूरी बता रहे हो बाठेडा की, मजावडा की जबकि शिशवी में आयुर्वेदिक है उसकी नही बता रहे हो, एक किलोमीटर दूर है उसकी आप दूरी नही बता रहे हो। ये हमारे समझ में नही आता है कि आप शिशवी को छोडकर मजावडा उनकी दूरी बता रहे हो। मतलब ऐसा करो कि जैसा हमारे यहॉ आयुर्वेदिक यहॉ पर भी है, सैकण्डरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, आयुर्वेदिक है। इन सब पर रिपेयरिंग का कुछ हुआ हो तो बताओ आप ? अब 10–10 किलोमीटर दूर की बता रहे हो आप। आयुर्वेदिक मजावडा का बता रहे हो जो कि यहॉ से 10 किलोमीटर दूर है। दुख हम देखते फायदा बाहर वाले उठाते यह हमारी समझ से बाहर है।

श्री बालूलाल लौहार, ग्रामवासी :–

आप कह रहे हो कि बाठेडा 10 किलोमीटर दूर है। उनसे हमे क्या लेना देना है ये बताओ। मैं यह पूछना चाहता हूं? इसका जवाब दे दीजिये। शिशवी हमारा गांव है वो दूरी क्यू बताई आपने उनसे हमे क्या मतलब है। दूसरे गांव से क्या लेना देना। गजब बात कर रहे हो आप। दूसरे गांव की बात कर रहे हो, कुछ तो काम की बात करो।

श्री राधाकिशन लौहार, ग्रामवासी :–

मेरा नाम राधाकिशन लौहार है। 1823 आराजी नम्बर जो है वो सेजलाई में आ रहा है जबकि 1926 जो है वो शिशवी में आ रहा है जबकि उसको भी सेजलाई में बता रखा है। उसके बाद जो CSR की बात कर रहे है तो कौन सा CSR है अभीं। कौन सा CSR Development के लिये कार्य कर रहा है।

पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार :–

ये जो लोग नाले की बात कर रहे है वो लिज से करीब 21.98 मीटर दूर है अर्थात 22 मीटर और नियमानुसार दूरी छोडकर एवं दूसरी बात जो CSR की बात कर रहे हो ये प्रस्तावित परियोजना लिज के लिये है। जब लिज चालु होगी तब से करेंगे। उसके लिये इन्होने 4 लाख रूपये स्कूल, स्कूल शौचालय, गांव विकास सबके लिये दिये है। उसके लिये जिस कार्य हेतु आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो इनसे खर्चा करवाने चाहते हो तो इनसे करवा सकते हो।

श्री राधाकिशन लौहार, ग्रामवासी :–

ये आपने जो अभी बताया है 1926 और 1823 इसमे किसी को कोई बात करनी हो जो बोल रहे है सर तो सहमत है क्या सब ? जो रेवेन्यू मे हेना जो पिछला।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप हेना ये बताओ कि आपको ये ओब्जेकशन है कि ये जो चीज बता रहे है ना।

श्री राधाकिशन लौहार, ग्रामवासी :–

एक बार सहमत हो जाए क्लियर हो जाये दूसरा यह है जो IMP/EMP बोल रहे हैं। इसमें एक भी परसेंट जो कार्य किया है, पिछला भी CSR होगा। उसका क्या Development है। एक परसेंट भी Development नही है। जो प्लांटेशन का बोल रहे है वो एक भी Development नही है, Impact assessment के बारे में ठीक है उसके अलावा जो इम्पेक्ट अससेमेन्ट है जो जनसुनवाई के पहले जो हमें किसी गांव वाले को बताया है क्या।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपके जो भी Objection है पिछली माईन्स के बारे में वो भी इसमें टेकन हो रहा है। तो जहॉ पर ये प्रजेन्टेशन देगे ना। तो पिछली माईन्स में इन्होने जो Environmnet Clearance हुई है उस पर प्रश्न उठ जायेगा। नॉन टेकन जोडा जाएगा उनको भी कम्लाईन्स देनी पड़ेगी। इसलिए आप ये मत सोचो कि इसी माईन्सकी है, पूरे क्लस्टर की हो रही है। इसलिए आप ये मत सोचना इसी माईन्स की है आप एक–एक करके बोलो जो पूरा स्पष्ट आ जाए।

श्री राधाकिशन लौहार, ग्रामवासी :–

जैसे अभी हम जो ट्राईबल एरिया में आते है। हम ग्रामीण परिवेश से है। हमारे लिये जो जरूरी है वो जगंल, जल सब है। अब हम बात कर रहे है कि हमे जंगल के लिये कार्य करना है आपने प्लांटेशन की बात कही और जब खनन हो रहा है हमारे पास पानी नही बच रहा है जो एक बीघा में पानी पिलाता था वो आधा बीघा में पानी पिलाता है। जल लेवल कम हो गया है। उसका जिम्मेदार कौन है। उसके लिये Development Government ने क्या काम किया है हमारे लिये। CSR में पिछला काम किया है अगला काम कोन करेगा? प्लांटेशन का कोई है नही उसमें। Community Development के लिये क्या कार्य हुआ है। अब हमारे सभी गांव वाले इस बात के लिये सहमत हुए है कि हम किसी भी चीज की माईनिंग करने के लिये तैयार नही है। क्योंकि हमारा अधिकतर 70 प्रतिशत परिवार कृषि कार्य करता है तो कोई पशुपालन करता है। यहॉ से 30–40 किलोमीटर दूर जाकर लोग मजदूरी करते है एवं उनका घर चलाते है। ये कैसे Possible है तो हमारा गांव यही चाहता है कि यहॉ किसी भी तरह से माईनिंग नही होनी चाहिये। जो ब्लास्टिंग है उसका मुआवजा इसमें शायद नही बताया गया होगा। जिसके घर में दरारे आयेगी उसका मुआवजा कौन देगा? अभी तक किसी को मुआवजा मिला क्या जिसके घर में दरारे आई है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

वो existing माईन्स है। ब्लास्टिंग की प्रोब्लम है दरारे आ रही है।

श्री राधाकिशन लौहार, ग्रामवासी :–

जो आगे वाला खनन हुआ है और अभी जो बता रहे है आराजी वाला। उसके नीचे जितने भी है। लगभज 18 से 20 कुएं है जिनका वाटर लेवल से डेरीकेशन करते है लोग। सालभर काम करते है। वो क्या करेंगे? जो आप बता रहे हो ना 1823 एवं 1926 वाला।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ये 1823, 1926 क्या चीज है।

श्री राधाकिशन लौहार, ग्रामवासी :–

उसमें आप देखना कि कितने कुएं आ रहे है एवं कितने एनिकट आ रहे है और कितनी एग्रीकल्चर जमीन है। अब उनकी भरपाई कौन करेगा? ये आपने EMP बता दिया है। हमे तो ये जो पिछली जनसुनवाई हुई थी उसका भी बता दिया। उस पर क्या अमल हुआ। उसका हमे कोई पता नही।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

हमें पुरानी अनुपालना रिपोर्ट चाहिए, पुरानी पहले अनुपालना हुई या नही।

श्री राधाकिशन लौहार, ग्रामवासी :–

एक तो यह हुआ है कि पिछला जो Development का काम हुआ है वो कहां पर काम हुआ है उसकी Complete रिपोर्ट हमें चाहिये। CSR वाला Development का काम कहां हुआ है जिसका आप Plantation का बोल रहे हो। इस बार का है तो इस बार के लिये हम Agree कर ही नही रहे है इसके लिये क्यों कि पूर्व में जो खनन हुआ अगर एक परसेंट भी Development करते तो हम मानते कि हमारे गांव के लिये कुछ हुआ है। कुछ भी नही हुआ है। सिर्फ EMP बताई जा रही है। आज का युवा क्या करेगा? हमारे पास Government नौकरिया थोडी ही है। पानी ही चला जायेगा, जंगल ही चला जायेगा तो क्या करेंगे हम। जमीन ही जा रहा है जल जा रहा है। अभी आप देखिए उसमें कुराबड़ लेवल ग्राउण्ड़ लेवल का पानी लेवल बिल्कुल गिर गया है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

कोई और पोइन्ट हो तो बताइये? ये करीब करीब इन्होने सारी चीजे कवर कर ली इन्होने, आपके अलावा। इसलिए में कह रहा हूँ जैसा आप जो भी बोल रहे है पुरा बोल दीजिए इसमें। हम तो बस आपकी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

बात कर रहे है। आप चाहे यहां से उसकी मिनिट्स है उसकी कॉपी आप ले सकते है आप उसकी कॉपी लेकर आप आगे भी फॉरवर्ड कर दे उसको कम्पलेन हमारी लिखित में आयी है। सूचना के अधिकार में आपको मिल जाएंगे। मिनट भी मिल जायेगे। आप चाहोगे इसका पेनड्राइव है इसका विड़ियों रिकॉर्डिंग का मतलब काट–छांट हम नही करेगे। जो आप बोल रहे वैसे ही जाएगी वो भी आप चेक कर सकते है। ये आपको थोड़ा 10–15 दिन 12 दिना में मिल जायेगा जब तक ये पुरा फाइनल हो जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह सांरगदेवत, ग्रामवासी :–

अभी जो ये जनसुनवाई रखी है उसमे पूरा गांव स्वीकृति।

श्री राधाकिशन लौहार, ग्रामवासी :–

अभी जैसे बात कर रहे है कि ये लिज अभी चालु हुई नही है। अभी जैसे जनसुनवाई रखी है एवं सर बैठे हुए है। अभी कभी भी लिज आती उस एरिये मे तो कोई 88 परसेंट Agree नही है उस एरिये में तो क्या वो लिज चल पायेगी।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

मैं आपको Example बता रहा हूं जगह का नाम नही बता रहा हूं कि जैसे एक जगह है वहा पर जितनी भी माईन्स थी उनको सबको Notice issue हो गये। उस आदमी की पर्यावरण स्वीकृति दो साल तक नही हुई। ये उदयपुर की बात है। उसमें हम सब एडीएम साहब के नॉलेज में है हम सब एडीएम साहब ही गये थे, देखने के लिये गये थे, ऐसा नही है आप जो बोलते हो ना उसकी वेल्यू होती है।

श्री राधाकिशन लौहार, ग्रामवासी :–

सर ये कुछ विडियो भी आये है हम शेयर करेंगे।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपको जो भी देना है वह लिखित मे दो क्यो कि हम जो भेजते है ना वह लिखित में दो।

श्री राधाकिशन लौहार, ग्रामवासी :–

हमारे लिये उसके लिये कोई Agree नही है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

वो आपने बता दिया है। इसके लिये किसी को कोई और बात बतानी है तो वह बता दे? और कोई पोईन्ट हो तो। पॉईन्ट मेरे ख्याल में आपने सब कवर कल लिये है। जो हो गये उनकी बात नही करनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

ग्रामीण महिला :–

पुरानी भी हमारी इसी तरह की जनसुनवाई हुई थी उसमें भी हमने ये सारी बाते बताई थी। आप बोल रहे कि हम रिर्टन देकर बतायेगे सारा तो गये बार का रिर्टन हमे मिला नही। इस बार का रिर्टन हमे कैसे मिले हमे क्या पता? इसका क्या बता सकते है आप ?

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इसमे हमारे ऑफिस में आकर Followup करना पडेगा।

ग्रामीण महिला :–

सर Followup तो अब करेंगे। जैसे आप बोल रहे हो जनसुनवाई के लिये तो हम आपके साथ में जनसुनवाई कर देंगे। तो पहले भी उनको बोलना चाहिये था कि आपके ये चीजे करनी पडेगी। आप आज बता रहे हो कि आपको ये चीजे करनी पडेगी तो हम करेंगे ना। आज ये सारे लोग यहॉ पर रूके है तो किसी को 300 मिलते है, किसी को 400 मिलते है तो किसी को 500 मिलते है। इससे ज्यादा किसी को नही क्यों कि किसी के सरकारी नौकरी है नही। प्राईवेट नौकरी करते है। 500 रुपये एक नौकरी के गये, क्यों गये क्यों कि हमारे मकान है, हमारे खेती बाडी, हमारे बच्चे घर परिवार सब को चलाना है। इसलिये ये रूके हुए है। और आप बोल रहे हो कि आपसे होगा तो आप करेंगे। और यदि नही होगा तो आगे ये लोग आयेंगे वहॉ पर और हमारे घर की बात है। इसलिये ये सारे लोग आयेंगे। माईन्से हमारे यहॉ पर नही होनी चाहिये बस मेरी एक ही Request है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

अब मैं एडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि दो शब्द कहे।

श्री दीपेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर :–

जो जनसुनवाई आज यहॉ हो रही है जिसमें आप सभी गांव के लोग यहॉ बिराजे हो। जनसुनवाई का मतलब सुनना ही है। आपको सुनने के लिये ही हम आये है, आपकी शिकायत सुनने के लिये आये है तो एक शिकायत आपने करी है कि यहॉ पर जो ब्लास्टिंग वाला हो रहा है तो एक बार इसमें मैं माईन्स डिपार्टमेंट को भेजुंगा और आपके जो जनप्रतिनिधि है उनसे वो सम्पर्क करेंगे तो एक बार चेक करवा देंगे की ये जो ब्लास्टिंग कर रहे है वो सही तरीके से कर रहे है या नही कर रहे है। और इसमें कोई कमी होगी जैसे मावली की तरह से शिकायत आयेगी तो वहॉ पर भी हम जांच करवा देंगे। यहॉ पर भी उसकी जांच करवा देंगे। दूसरा आपने कहॉ कि यहॉ पर हम जो शिकायत कर रहे है वो ऊपर जायेंगी या नही जायेंगी तो वो आप निश्चित रहे बिल्कुल जायेगी और जैसा आर.ओ.साहब ने बताया कि इनके ऑफिस के

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

थु जाती है तो इनके ऑफिस से सारे रिकॉर्ड जो आप चाहते हो तो थोडे बहुत जो जागरूक युवा है वो मिलकर टीम बनाकर ले लो और फिर उसकी जांच कराओं कि हमने जो शिकायत की थी उसका क्या हुआ। नियम कानुन सारे बने हुए है। बस जरूरत है थोडा जागरूकता की। ताकि नियम कानून का सब पालन करे। इसलिये हमे जागरूकता की जरूरत है कानून की जरूरत है। कही बार हम क्या करते है कि यहॉ पर कोई आया तो हमने अपनी बात रख दी लेकिन आपको ये पता नही होता है कि इसको Follow कैसे करना है। आगे अपनी बात को कैसे रखना है। कहॉ जाना है वो पता नही होता है तो इसकी जानकारी लेनी की जिम्मेदारी अपनी है। सारे नियम बने हुए है। हर चीज को रोकने के, सही तरीके में ले जाने के नियम सारे है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब कानून को समझकर प्रक्रिया को समझकर आगे बढें और ये चीज नही होती है तो कोर्ट है। यदि कोई अधिकारी कोई सिस्टम सुनवाई नही कर रहा है तो अपन कोर्ट में जाते ही है ना किसी चीज को लेकर के। कोर्ट भी सुनती है। लेकिन कोर्ट में कैसे जाना है वो आपको पता होना चाहिये। ऊपर कौन सा विभाग है जो इसको देख रहा है वो आपको पता होना चाहिये। आर.टी.आई. कैसे लगती है, आर.टी.आई. मे सूचना कैसे लगती है हमे पता होना चाहिये तो यदि कानून की जानकारी नही है तो आप अपनी शिकायतों को आगे तक Follow नही करते हो। तो आपसे निवेदन है कि आप वो करे। जो भी आपने यहॉ पर बताया है उन सब शिकायतों को हम अक्षर अक्षर यहॉ से भेजेंगे ऊपर। जो विभाग इसको डिल करता है। हमारा काम है यहॉ पर जनसुनवाई करना, आपको सुनना और आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाना, निर्णय करना जो है वो एक कमेटी है वो करती है। तो वो जो निर्णय करती है उसकी एक कॉपी भी आप ले सकते हो बाद में और उसको भी आप चुनौती दे सकते हो अगर आपको लगता है कि किसी भी स्तर पर गलत निर्णय हुआ है या हमारी बात नही सुनी जा रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहुंगा। धन्यवाद।

अन्य ग्रामीण :–

हमने सुनवाई में अर्जी दी है, यहॉ से गई आगे, आपको समाधान मिले आगे से तो ऐसी कोई कागज, हार्ड कॉपी आप पंचायत में भेजते हो या नही भेजते हो? हम कहॉ पर।

श्री दीपेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर :–

पंचायत में जो विभाग डिल करता है उस विभाग को हम भेजते है जैसे माईन्सो में नियमों की अवहेलना हो रही है तो मै माईन्स विभाग को भेजूंगा तो माईन्स विभाग उसके कवरेज करके हमे भी रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट की कॉपी आप ले सकते हो।

अन्य ग्रामीण :–

वो कॉपी हम ऑफिस में लेने जाये या वो कॉपी पंचायत में आयेगी?

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

श्री दीपेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर :–

पंचायत में नही आती है लेकिन जो शिकायत करता है उसको सूचना दी जायेगी।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप वॉट्सअप पर भी दे सकते है। यदि आप नही आना चाहे तो वॉट्सअप पर दे दों। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है आपको आप जब भी आओगे आपको मिल जाएगी देखो। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ होता क्या है अभी जैसे माईन्स है ना माईन्स लीज हो गयी है। उसके नाम पर आप एक प्रजेन्टेशन ये दोना कि आप लीज अलोट क्यो कर रहे हो। ये जितनी भी जनसुनवाई होती है ये किस चीज की होती जिनको लीज अलोट हो चुकी होती है।। ये जो भी ऑनर होगा उसने पुरा परस्यू करके माईनिंग डिपाईमेन्ट में अपने नाम लीज अलोट कराई उसके बाद जनसुनवाई हो रही है। अगर आपको इस एरिये में चाहिए ही नही तो आप माईन्स विभाग को दो कि इस एरिये में भी नही किया जाये। अब अलोट करने के बाद जनसुनवाई हो रही है। आप एक बार बात कर लो माईनिंग डिपार्टमेन्ट में जाके। हम माईनिंग डिपार्टमेंट के लिये कुछ नही कर रहे है। हम सिर्फ आपकी बात को पहुंचा रहे है।

श्री देवेन्द्र सिंह, ग्रामवासी :–

जैसा आप बोल रहे हो कि ये तो अलोट माईनिंग डिपार्टमेंट करता है तो अनॉप्ट होनी ही नही चाहिये और अभी जो अलॉट हुई है उसको भी हमको कैंसल करवानी है। ये हमारे पुरे गांव की भावना है क्यों कि हमारा पूरा गांव पशुपालन और खेती पर ही निर्भर है। इस गांव में कोई सरकारी नौकरी नही है या तो खेती करता है या पशुपालन। इसी से हमारा गांव चल रहा है। यदि आज से 10 साल बाद ऐसा ही होता रहा तो मैं आपको कह रहा हूं कि गांव नही रहेगा। हम इतने नियम जानते है। हमारी यही अपील है सर कि कुल मिलाकर नही होनी चाहिये बाकि हमारा गांव नही रहेगा। सर हमारो गांव नही रहेगा ये 100 प्रतिशत सत्य है। क्यों कि फिर हम क्या करेंगे। न तो हम पशु रख सकते है, न हम खेती कर सकते है। क्या करेंगे आप सोचों। हमारी सरकारी नही है कि यहॉ जाओ वहॉ जाओ इतनी नही है। आज सब 400 रूपये 400 रूपये की डानकी (कार्य) छोडकर आये है। अब वहॉ जायेंगे तो कहेगे कि आप कल आना। सब नियम मैं जानता हूं कि क्या है और क्या नही है। आज नही होगा कल होगा। इसलिये हमारी भावना को ध्यान रखो। गांव को गांव रहने दो। बस इतनी अपिल है कि अब बंद करो और जो चल रही है उसको नियमानुसार चलने दो और जिनका हो गया खतम, उनको खतम करो। अब बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। इन सब ने बाते बता दी। बस इतनी अपील है। कोई ट्रेक्टर वाला कहता है कि हम नही आ रहे है खनन। वो कहता है कि अरे वहा इतना बडा अवैध खनन हो रहा है वो आप नही पकड रहे हो। बस किसान मर रहा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

है, गरीब आदमी मर रहा है गरीब आदमी। बस नियम और कानून तो गरीबों पर ही लागू होते है। अमीर तो गली निकालते है। संविधान भी ऐसा ही है।

श्री शरद सक्सेना, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में संलग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में संलग्न) के साथ उन्हे राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.म., उदयपुर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन),
उदयपुर
(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

श्री मोहन लाल डांगी, क्वार्ट्ज एवं फैल्ड्सपार (एम एल नं. 13/2023, क्षैत्रफल–1.2151 हैक्टेयर) प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फैल्ड्सपार उत्पादन क्षमता 1,23,898 TPA, निकट ग्राम– सेजलाई, तहसील–कुराबड़, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 16.01.2026 को प्रातः 11.00 AM बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत शिशवी, तहसील–कुराबड़, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Dipendra Singh	ADM I	[illegible]
2	Sharad Saksena	RO RSPCB	[illegible]
3			
4			
5			
6.	मोहन लाल डांगी	मोहनलाल [illegible]	Mohan [illegible]
7	Madan Singh	शिशवी	Madan Singh
8.	राधाकृष्ण [illegible]	—	[illegible]
9	[illegible]	शिशवी	[illegible]
10	करणसिंह	शिशवी	[illegible]
11	कन्हैयालाल सेन		
12	[illegible] पटेल	शिशवी	Ansh
	आवेश पटेल	शिशवी	आवेश
	युवराज सिंह	सेजलाई	[illegible]
	ईश्वर लाल डांगी	सेजलाई	Eshwar
	प्रकाश पटेल	शिशवी	प्रकाश
	Dileep Kumar	शिशवी	[illegible]
	भूपेन्द्र सिंह	सेजलाई	[illegible]
	शूरवीर सिंह	सेजलाई	शूरवीर सिंह
	चेतन सिंह	सेजलाई	चेतन सिंह
	नरपत सिंह	सेजलाई	[illegible]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	दुदा	सेजलाई	
	रोशनलाल	सेजलाई	[illegible]
	रतन लाल	सेजलाई	रतनलाल
	सुरेश	शिशवी	जगदीश
			सुरेश
	किशन	शिशवी	किशन
	स्याल कुँवर	सेजलाई	स्याल कुँवर
	पुष्पा कुँवर	सेजलाई	पुष्पा कुँव.
	सोहन कँवर	सेजलाई	सोहन कुँव
	लहर कुँवर	सेजलाई	लहर कुँव.
	केसी प्रजापत	शिशवी	केसी प्रजाप
	मिश्र कुवर	सेजलाई	मिश्र कुवर
	देवेन्द्र पुरि	शिशवी	[illegible]
	शिवराम	उदयपुर	[illegible]
	नारायण लाल	उदयपुर	[illegible]
	लक्ष्मी लाल	उदयपुर	लक्ष्मी लाल
	दिव्या सारंगदेवोत	सेजलाई	दिव्या
	Kaynat Aazam (consultant)	Aqueo enviornment P. Ltd.	[illegible]

सेवामें

श्रीमान जिला उपखंड अधिकारी

तहसील - कुराबड,जिला- उदयपुर राजस्थान

विषय :- **गाँव सेजलाई,शिशवी में नये खनन आवंटन को रोकने हेतु**

महोदयजी,

सविनय नम्र निवेदन है कि सेजलाई,शिशवी गाँव में होने वाले नये खनन आवंटन जिसकी जानकारी इस प्रकार है (प्लाट/ऍम एल संख्या 13/2023 **एवम खसरा संख्या** 3042/1860 **खनन पट्टा का** क्षेत्रफल 1.2151 **हेक्टयर में है प्रस्तावित उत्पदान टी.पि.ए.में** 123898 **है** लागत 2 करोड़)

के लिये प्रस्तावको द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई 16.01.2026 को रखी गई जिसके पक्ष में हम समस्त ग्रामवासी सहमत नहीं है | हम नही चाहते कि अब किसी भी प्रकार के खनन कार्य जिसके कारण गाँव में रहने वाले ग्रामवासी एवम पशु पक्षियों एवम सभी जीवो को हानी पहुचे अत: आप से निवेदन है कि उक्त जानकारी के अनुसार प्रस्तावित कार्य एवम भविष्य में इसी प्रकार के होने वाले कार्यो पर हम ग्रामवासियो कि किसी भी प्रकार कि स्वीकृति नहीं होगी अत: तत्काल प्रभाव से ईन कार्यो पर रोक लगादी जावे |

अत: आर.जे. 10- 1823 व 1926 की (लिज (Maining) है।

निवेदक

समस्त ग्रामवासी शिशवी

ग्राम पंचायत शिशवी

युवराज सिंह

दुर्गेश लोहार

चेतन प्रजापत

Madan Singh

दिलीप कुमार

शंकरलाल

मोहनलाल सिंह

शूरवीर सिंह

पवन प्रजापत

भूपेन्द्र सिंह

सेवामें

श्रीमान जिला उपखंड अधिकारी

तहसील - कुराबड,जिला- उदयपुर राजस्थान

विषय :- पूर्व में हुई जनसुनवाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु

महोदयजी,

सविनय नम निवेदन है कि वर्तमान में चल रही माइंश के कारण ग्रामवासियों को जीतनी भी समस्याये है इनके बारे में पूर्व में हुई सभी जनसुनवाईयो में समस्त ग्रामवासियों दवरा मोखिक एवम लिखित रूप से अधिकारियो को अवगत कराया था जिसकी प्रतिलिपि मय सलग्न है |

जिस पर अभी तक कोई कार्यवाई नहीं हुई है,अगर किसी प्रकार कि कार्यवाई प्रशासन द्वारा कि गई हो तो उस कार्यवाई को लिखित एवम मोखिक रूप से ग्रामवासियों के साथ साझा करे |

अगर किसी भी प्रकार कि कार्यवाई नहीं हुई है तो आने वाले सात दिनों में सख्त कार्यवाई कि जावे | अगर सात दिनों में प्रशासन द्वरा कार्यवाई नहीं कि गई तो ग्रामवासियों द्वरा किसी भी कृत्य के लिये उपखंड अधिकारी एवम प्रशासन स्वयम जिमेदार रहेगा |

निवेदक

समस्त ग्रामवासी शिशवी एवम

ग्रा म पंचायत शिशवी

सेवामें

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

जिला उदयपुर (राज.)

विषय => माइन्स के फैलाव को रोकने हेतु।

महोदय

सविनय नम्र निवेदन है कि हमारे गॉव शिशवी मे खनन माईन की वजह से गॉव मे समस्या आ रही है गांव के 3 किलोमीटर के बाहर खनन होनी चाहिए किन्तु पंचायत ने गांव के 1 किलोमीटर के अंदर NOC जारी कर रखी है जिसके कारण गांव मे रहने वाले लोगो को कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पड रहा है। जो इस प्रकार है →

1. पीने के पानी की समस्या
2. माईन मे पावरफुल ब्लास्टिंग की वजह से घरो की छते फट रही है।
3. घरो की दिवारो मे दरारे।
4. गांव मे चारागाह भूमि नही बची है और जो बची है वहॉ और कब्जे किये जा रहे है।

आवेदन कर्ता

समस्त ग्रामवासी शिशवी

नरेंद्र

Kishor Singh

पर्वतसिंह

नन्दलाल

मुकेश

रघुवीर सिंह

भूपेन्द्र सिंह

मोतीसिंह

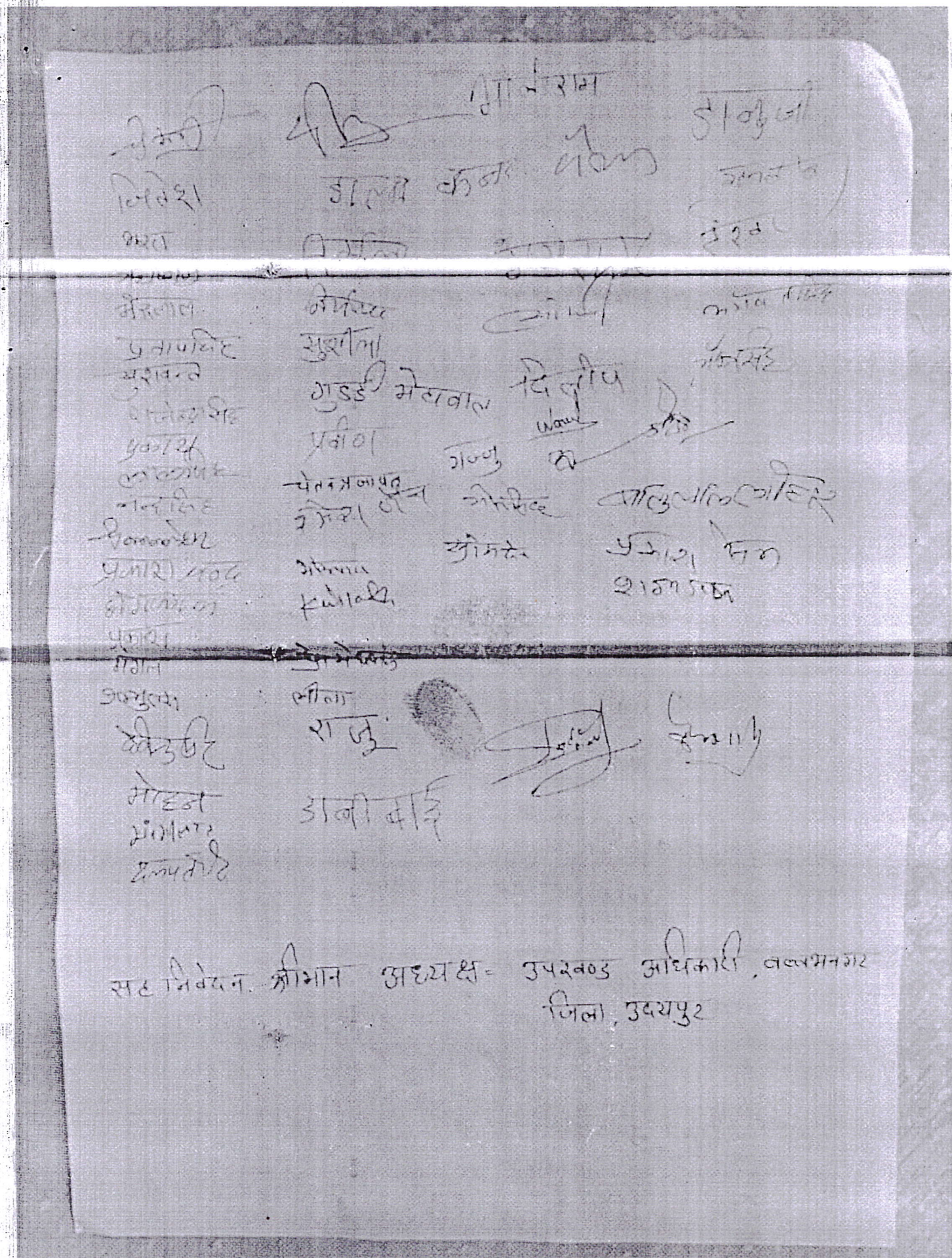

सह निवेदन. श्रीमान अध्यक्ष- उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
जिला, उदयपुर

निवासरत पेंशनर्स ने कार्यालय में लगे शिविर सफलतापूर्वक कराया।

भास्कर APPOINTMENT

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- श्री मोहन लाल डांगी, एम.एल.न. 13/2023 (क्षेत्रफल 1.2151 हैक्टेयर) "क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार", ग्राम-सेजलाई, तहसील-कुराबड़, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मोहन लाल डांगी, एम.एल.न. 13/2023 (क्षेत्रफल 1.2151 हैक्टेयर) "क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार", ग्राम-सेजलाई, तहसील-कुराबड़, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार माईन (एम.एल. न. 13 2023 क्षेत्रफल 1.2151 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 1,23,898 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2 और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)। 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील-कुराबड़, जिला-उदयपुर। 7) सरपंच, ग्राम- सेजलाई, तहसील-कुराबड़, जिला - उदयपुर। 8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 16.01.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत शिशवी, तहसील-कुराबड़, जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

8वीं मंजिल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029, टेली. 2618 9709

केविविआ के वित्त प्रभाग में स्टाफ परामर्शदाताओं की नियुक्ति

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संविदा आधार पर केविवि आयोग के वित्त प्रभाग में स्टाफ परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है :

पद	रिक्तियों की संख्या
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वित्त)	01
अनुसंधान अधिकारी (वित्त)	02

2. कृपया विस्तृत अर्हताओं एवं अपेक्षित अनुभव तथा अन्य निबंधनों एवं शर्तों के लिए, केविवि आयोग की वेबसाइट **www.cercind.gov.in** देखें।
3. इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार केविवि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट **https://vacancy.cercind.gov.in/cerc/public** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित प्रोफार्मा की एक हार्ड कॉपी उप प्रमुख (प्रशासन) को उपरिलिखित पते पर दिनांक **27 दिसम्बर, 2025, सायं 5.00 बजे तक भेजें।**

हस्ता./-
(राजीव कुमार)
उप प्रमुख (प्रशासन)

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी)

रोजगार सूचना संख्या 2(2)/आई/एसटीपीआई-एचक्यू/2025-26

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ़ इंडिया (एसटीपीआई) एसटीपी/ ईएचटीपी स्कीम के तहत निर्यातकों को वैधानिक सेवाएं दे रहा है और उच्च गति इंटरनेट और आईपीएलसी लिंक जैसी आधारभूत सुविधाएं भी दे रहा है। अभी एसटीपीआई के देश में अलग-अलग जगहों पर 68 केंद्र हैं।

नीचे दी गई ग्रुप 'ए' से नीचे की एस एंड टी और नॉन-एस एंड टी रिक्तियों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए गए हैं। रिक्तियों को समावेश और/या सीधी भर्ती के आधार पर भरने का प्रस्ताव है। समावेश और/या सीधी भर्ती के आधार पर की गई नियुक्तियां पद संभालने की तारीख से दो साल के समय के लिए परिवीक्षा पर होंगी।

क्र. सं.	पद कोड	पद का नाम	वेतन स्तर	पदों की संख्या	केंद्रवार रिक्तियां	आयु सीमा (अधिकतम)	
1	ईएस-5 (एस एंड टी)	सदस्य तकनीकी सहायता स्टाफ (एमटीएसएस) ईएस-V	स्तर 6 (₹ 35400-112400)	02** (एस.टी.-01, ई.डब्ल्यू.एस.-01)	01 (एस.टी.) - एसटीपीआई - बेंगलुरु 01 (ई.डब्ल्यू.एस.) - एसटीपीआई -बेंगलुरु	समावेश के लिए	56 साल
						सीधी भर्ती के लिए	36 साल (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)
2	ए-5 (नॉन-एस एंड टी)	प्रशासनिक अधिकारी (ए-V)	स्तर 7 (₹ 44900-142400)	03** (यू.आर.-03)	01 (यू.आर.) - एसटीपीआई - नई दिल्ली 01 (यू.आर.) - एसटीपीआई - गुवाहाटी 01 (यू.आर.) - एसटीपीआई - पुणे	समावेश के लिए	56 साल
						सीधी भर्ती के लिए	40 साल (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)
3	ए-4 (नॉन-एस एंड टी)	सहायक (ए-IV)	स्तर 6 (₹ 35400-112400)	03** (यू.आर.-01, ओ.बी.सी.-02)	01 (यू.आर.) - एसटीपीआई - बेंगलुरु 01 (ओ.बी.सी.) - एसटीपीआई - बेंगलुरु 01 (ओ.बी.सी.) - एसटीपीआई - हैदराबाद	समावेश के लिए	56 साल
						सीधी भर्ती के लिए	36 साल (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)
4	ईएस-4 (एस एंड टी)	सदस्य तकनीकी सहायता स्टाफ (एमटीएसएस) ईएस-IV	स्तर 5 (₹ 29200-92300)	04*** (यू.आर.-01, एस.सी.-01, ओ.बी.सी.-01, ई.डब्ल्यू.एस.-01)	01 (यू.आर.) - एसटीपीआई - जयपुर (गुरुग्राम) 01 (एस.सी.) - एसटीपीआई - इंदौर (भोपाल) 01 (ओ.बी.सी.) - एसटीपीआई - नोएडा 01 (ई.डब्ल्यू.एस.) - एसटीपीआई - हैदराबाद	समावेश के लिए	56 साल
						सीधी भर्ती के लिए	34 साल (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)
5	ईएस-3 (एस एंड टी)	सदस्य तकनीकी सहायता स्टाफ (एमटीएसएस) ईएस-III	स्तर 4 (₹ 25500-81100)	01*** (ओ.बी.सी.)	01 (ओ.बी.सी.) - एसटीपीआई - तिरुवनंतपुरम	सीधी भर्ती के लिए	32 साल (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)
6	ईएस-2 (एस एंड टी)	सदस्य तकनीकी सहायता स्टाफ (एमटीएसएस) ईएस-II	स्तर 2 (₹ 19900-63200)	01*** (ओ.बी.सी.)	01 (ओ.बी.सी.) - एसटीपीआई - नोएडा	सीधी भर्ती के लिए	30 साल (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)
7	ए-3 (नॉन-एस एंड टी)	सहायक ए-III	स्तर 5 (₹ 29200-92300)	01*** (यू.आर.)	01 (यू.आर.) - एसटीपीआई - हैदराबाद	समावेश के लिए	56 साल
						सीधी भर्ती के लिए	34 साल (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)
8	ए-2 (नॉन-एस एंड टी)	सहायक ए-II	स्तर 4 (₹ 25500-81100)	02*** (यू.आर.-01, एस.टी.-01)	01 (यू.आर.) - एसटीपीआई - तिरुवनंतपुरम 01 (एस.टी.) - एसटीपीआई - बेंगलुरु	समावेश के लिए	56 साल
						सीधी भर्ती के लिए	32 साल (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)
9	ए-1 (नॉन-एस एंड टी)	सहायक ए-I	स्तर 2 (₹ 19900-63200)	01*** (ओ.बी.सी.)	01 (ओ.बी.सी.) - एसटीपीआई - मुंबई (पुणे)	सीधी भर्ती के लिए -	30 साल (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)
10	एस-1 (नॉन-एस एंड टी)	कार्यालय सहायक (एस-I)	स्तर 1 (₹ 18000-56900)	01*** (एस.सी.)	01 (एस.सी.) - एसटीपीआई - बेंगलुरु	सीधी भर्ती के लिए -	30 साल (भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट)

नोट: ** क्र. सं. 1, 2 & 3 में बताई गई कुल 08 रिक्तियों में से, 02 रिक्तियां पीएच (01-एचएच और 01-वीएच) के लिए आरक्षित हैं।
***(I) क्र. सं. 4 से 10 में बताई गई कुल 11 रिक्तियों में से, 04 रिक्तियां पीएच (02-वीएच, 01-एचएच और 01- विविध विकलांगता आदि...) के लिए आरक्षित हैं।
(II) ऊपर क्र. सं. 4 से 10 में बताई गई कुल 11 रिक्तियों में से, 01 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

ऑनलाइन आवेदन मिलने की आखिरी तारीख: एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इस विज्ञापन के प्रकाशन होने के 45 दिनों के अंदर।
(आवश्यक योग्यता और अनुभव, आवेदन कैसे करें, आवेदन शुल्क, सामान्य नियम और शर्तें, स्क्रीनिंग/चयन मानदंड, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआती तारीख, ऑनलाइन आवेदन मिलने की आखिरी/ समापन तारीख, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्र, वगैरह की जानकारी के लिए कैंडिडेट एसटीपीआई की वेबसाइट www.stpi.in देख सकते हैं।)

-हस्ता.-
(सीएओ-सह-रजिस्ट्रार), एसटीपीआई

...tice (For Immovable Property) Rule 8-(1)

...r of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (II FL-H FL) under ...ets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) ... Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower/Co- ...ount notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken ... exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrower in particular and ... with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **IIFL HFL** for an ...erson. The borrowers attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the ...with all costs. charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the ...L HFL" and no further step shall be taken by **"IIFL HFL"** for transfer or sale of the secured assets.

...scription of the Secured Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
...rcel of Rajasthan, India Flat No-a-401, 4th Floor ... Green Midoews, Village-shrikishanpura, Tehsil- ...17, Area Admeasuring (IN SQ. FT.): Property Type: ...uilt_Up_Area Property Area: 430.00, 581.00	₹1266793.00/- (Rupees Twelve Lakh Sixty Six Thousand Seven Hundred and Ninety Three Only)	22/08/ 2025	26/11/ 2025
...cel of Flat No A-301, Floor No. 3, A, Swapnalok, ... Village - Mathurawala, Teh Sanganer, Jagatpura, ...Area Admeasuring (IN SQ. FT.): Property Type: ..._Area Property Area: 626.00, 485.00	₹1660043.00/- (Rupees Sixteen Lakh Sixty Thousand and Forty Three Only)	22/08/ 2025	26/11/ 2025
...el of Flat No-202, Floor No. 1, A, Shyam Residency ...ver Acarde-I, Gram- Narsinghpura, Sanganer, ...dia Area Admeasuring (IN SQ. FT.): Property Type: ..._Area Property Area: 900.00, 750.00	₹2700750.00/- (Rupees Twenty Seven Lakh Seven Hundred and Fifty Only)	22/08/ 2025	26/11/ 2025

...rat Branch Office : Ambition Tower, Plot No. D-46-B, Offices No. 307 To 312, Malan Ka Chauraha, ...-302001 or Corporate Office : IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

...IMITED

...Corp. Office: 201-202, 2nd Floor,
...rial Area, Jaipur. 302020

Aavas — SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

...nder Section 13(2) of Securitisation Act of 2002

...e Authorised Officer (AO) Under section 13 (2) Of Securitisation And Reconstruction of ...nterest Act 2002 had issued 60 day demand notice to the borrower as given in the table. ...t deposit the Amount within 60 days, the amount will be recovered from Auction of the ...send to the borrower/guarantor has not been served, copy of demand notice has also ...elow. Therefore you the borrower is informed to deposit the loan amount along with ...0 days, otherwise under the provisions of section 13 (4) and 14 of the said Act, the AO is ...below.

Demand Notice Date and Amount	Description of Mortgaged property
20 NOV 25 Rs. 222051/- 19 NOV 25	PATTA NO 126 CHAK 29 GB, SHIVPURI, TEH. SRI VIJAYNAGAR, DISTT. SRI GANGANAGAR RAJASTHAN **ADMEASURING 2500 SQ. FT.**

...1.2025 **Authorised Officer Aavas Financiers Limited**

PUBLIC NOTICE

...stered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), ...bai- 400051
...gar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400059
...mplex, Opp. Pannadhay Bus Stand, Ghatiyawali Road, Distt. Chittorgarh.

... in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by ...any Limited ("ICICI HFC") and the loans have been classified as Non- ...ssued to them under Section 13 (2) of Securitisation and Re-construction ...Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however it was ...tified by way of this public notice.

	Property Address of Secured Asset/ Asset to be Enforced	Date of Notice Sent/ Outstanding as on Date of Notice	NPA Date
- ...wer), ...icipal ...618152.	Karamchari Colony Pratap Nagar Chittorgarh- 312001 Na Chittorgarh Rajasthan- 312001. Bounded By- North : Plot No 20, South : Plot No 22, East : Plot No 25, West : Road 40.	20-11-2025 Rs. 35,09,959/-	08-11-2025
- ...wer), ...icipal ...618153.	Karamchari Colony Pratap Nagar Chittorgarh- 312001 Na Chittorgarh Rajasthan- 312001. Bounded By- North : Plot No 20, South : Plot No 22, East : Plot No 25, West : Road 40.	20-11-2025 Rs. 28,35,714/-	08-11-2025
- ...wer), ...icipal ...618341.	Karamchari Colony Pratap Nagar Chittorgarh- 312001 Na Chittorgarh Rajasthan- 312001. Bounded By- North : Plot No 20, South : Plot No 22, East : Plot No 25, West : Road 40.	20-11-2025 Rs. 1,43,053/-	08-11-2025

...ed service of notice. The above borrower/s and/or their guarantors (as ...ments of outstanding within period of 60 days from the date of publication ...en as per the provisions of Securitization and Re-construction of Financial ...st Act, 2002.

...rgarh Authorized Officer, ICICI Home Finance Company Limited

PUBLIC NOTICE

...istered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), ...mbai- 400051
...gar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai- 400059
...Plot No.14, Sardul Colony, Ambedkar Circle, Bikaner- 334001
...ompany Limited, 2nd Floor, B – Block, Shop No. 1, S. K. Plaza, Pur Road,

...k Nagar-III Scheme, Khasra No. 1477, District Dausa, Rajasthan 303303
...hyog Bhawan, Aerodrome Circle, Kota - 324007

RAJASTHAN SAMWAD

Department of Information and Public Relations, Government Secretariat, Jaipur-302005
(Telephone & Fax No. 0141-2227057, E-mail id :- dipr.rajasthan@gmail.com, eproc.dipr@gmail.com)

SHORT NOTICE INVITING BIDS
NIB No. 112 Date : 28/11/2025

Bids for **Rate Contract of Services of Kala Jathha** are invited from interested bidders up to 09:00 AM 08/12/2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (**http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in**) of the state; and **https://dipr.rajasthan.gov.in/**. The approximate value of the procurement is Rs. 5 Crore.

UBN : IPR2526SLRC00025 **Managing Director**

Raj.Samwad/C/25/14842 **Rajasthan Samwad, Jaipur**

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई–मेल : : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294–2491269

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः– श्री मोहन लाल डांगी, एम.एल.न. 13/2023 (क्षेत्रफल 1.2151 हैक्टेयर) "क्वाट्र्ज एवं फैल्सपार", ग्राम–सेजलाई, तहसील–कुराबड़, जिला–उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मोहन लाल डांगी, एम.एल.न. 13/2023 (क्षेत्रफल 1.2151 हैक्टेयर) "क्वाट्र्ज एवं फैल्सपार", ग्राम–सेजलाई, तहसील–कुराबड़, जिला–उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वाट्र्ज एवं फैल्सपार माईन (एम.एल. न. 13 2023 क्षेत्रफल 1.2151 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 1,23,898 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डंल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नाकिंत कार्यालयों पर उपलब्ध है:– 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4,. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए–216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)। 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील–कुराबड़, जिला–उदयपुर। 7) सरपंच, ग्राम– सेजलाई, तहसील–कुराबड़, जिला – उदयपुर। 8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ–प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ–470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 16.01.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत शिशवी, तहसील–कुराबड़, जिला – उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

GUJARAT METRO RAIL CORPORATION (GMRC) LIMITED

આપણી મેટ્રો

(SPV of Govt. of India and Govt. of Gujarat)
Block No.1, First Floor, Karmayogi Bhavan, Sector 10/A, Gandhinagar: 382010, Gujarat. (CIN): U60200GJ2010SGC059407

TENDER NOTIFICATION
Dated : 29.11.2025

E-Tender is invited from reputed and experienced Contractors for the following tenders :

Tender No and Name	Tender Fees
Tender No.: GMRC/O&M/CFS-02/PH-I/2025 "Customer Facilitation Services of 18 nos. of Metro stations and 01 Depot (Package - 1) of East - West corridor of Ahmedabad Metro Rail Project Phase -1"	INR 25,000/-
Tender No.: GMRC/O&M/CFS-03/PH-I&II/2025 "Customer Facilitation Services of 14 nos. of Metro stations of North - South corridor of Phase - 1 and 22 nos. of Metro stations of Corridor - 1 & 2 (Package - 2) of Phase - 2 of Ahmedabad Metro Rail Project"	INR 25,000/-

Interested bidders are requested to visit **https://tender.nprocure.com** or eligibility criteria, applying/ downloading the tender document. **Last date and time for Bid Submissions is 15:00 Hrs. on 29.12.2025.**

Any alterations in Eligibility Criteria and terms of the Tender Document, or any amendment to the Tender Document, etc, will be uploaded on **https://tender.nprocure.com** and GMRC's Website **www.gujaratmetrorail.com** without any obligation or press notification or other proclamation.

Sd/-
Director - SER
GMRC, Gandhinagar

ACRE — **ASSETS CARE & RECONSTRUCTION ENTERPRISE LTD.**
Corporate Office : Unit No. 502, C Wing, ONE BKC, Plot No. C – 66, G – Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai – 400051.